



सराहनीय कार्य जनपद सम्भल पुलिस

दिनांक - 14.09.2020



श्रीमान पुलिस अधीक्षक सम्भल श्री यमुना प्रसाद के कुशल निर्देशन में जनपद सम्भल में दिनांक 14.09.2020 को कानून व्यवस्था, अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाये गये अभियान में निम्नलिखित कार्यवाही की गयी।

अवैध शराब के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार थाना रजपुरा-

1- मु0अ0सं0 440/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम में अभियुक्त महेन्द्र पुत्र चेताराम निवासी परतापुर थाना गुन्नौर जनपद सम्भल को हे0का0 222 नन्दू सिंह द्वारा परतापुर मोड़ से 10 लीटर अवैध शराब के साथ गिरफ्तार

किया गया।

2- मु0अ0सं0 441/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम में अभियुक्त साहिल पुत्र विद्याराम निवासी भीकमपुर जैनी थाना गुन्नौर जनपद सम्भल को उ0नि0 शैलेन्द्र कुमार द्वारा ग्राम दुप्टा खुर्द तिराहे से 10 लीटर अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।



3- मु0अ0सं0 442/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम में अभियुक्त जगपाल पुत्र लक्ष्मीनारायण नि0 जिया नगला की मढैया थाना रजपुरा जनपद सम्भल को हे0का0 25 विनोद कुमार द्वारा पहलवाड़ा के पास से मय 10 लीटर अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त अवैध शस्त्र के साथ गिरफ्तार थाना बहजोई-

मु0अ0सं0 417/2020 धार 3(1) गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त हरप्रसाद पुत्र किशोरी निवासी अर्जुनपुर जुना थाना बहजोई जनपद सम्भल को उ0नि0 विकेश राणा द्वारा नगलिया भूड़ से एक नाजायज तमन्चा 12 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर थाना बहजोई पर मु0अ0सं0 425/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।



अवैध शस्त्र के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार थाना हयातनगर-

मु0अ0सं0 362/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में अभियुक्त साजिद पुत्र ताहिर निवासी चतुरी थाना हयातनगर जनपद सम्भल को उ0नि0 अनिल कुमार द्वारा राधाकृष्ण धर्मशाला के सामने से एक नाजायज तमन्चा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया ।



03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

थाना गुन्नौर - मु0अ0सं0 758/2020 धारा 307/34 भादवि में वांछित अभियुक्त नेकपाल पुत्र विद्याराम निवासी ग्राम रायपुर थाना गुन्नौर जनपद सम्भल को उ0नि0 पंकज बालियान द्वारा अभियुक्त के घर से गिरफ्तार किया गया ।



थाना नखासा - मु0अ0सं0 446/2020 धारा 379 भादवि में वांछित अभियुक्त आशकार पुत्र आफताब निवासी सलारपुर कलां थाना नखासा जनपद सम्भल को उ0नि0 छेदालाल दिवाकार द्वारा पक्का बाग चौराहा से गिरफ्तार किया गया ।



थाना कोतवाली सम्भल – मु0अ0सं0 428/2020 धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम व 420/467/468/272/273 भादवि में अभियुक्त सत्यप्रकाश पुत्र रूपसिंह निवासी बेगम सराय थाना कोतवाली सम्भल को उ0नि0 अजयकुमार द्वारा अभियुक्त के घर से गिरफ्तार किया गया ।

